



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939 (शक)
No. 17] NEW DELHI, MONDAY, MAY, 1, 2017/VAISAKHA 11, 1939 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 1st May, 2017/Vaisakha 11, 1939 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 28th April, 2017, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2017

No. 17 OF 2017

[28th April, 2017.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Odisha and to amend the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2017.

Short title.

C.O. 19. 2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, in PART XIII.—*Odisha*, for entry 79, the following entry shall be substituted, namely:—

Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

“79. Sabakhia, Sualgiri, Swalgiri.”.

C.O. 68. 3. In the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, for the word “Pondicherry” at both the places where it occurs, the word “Puducherry” shall be substituted.

Amendment of Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

DR. G. NARAYANA RAJU
Secretary to the Govt. of India.

CORRIGENDA

In the FINANCE ACT, 2017 (7 of 2017) as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I, Issue No. 7, dated the 31st March, 2017,—

Page No.	Col. No.	Line(s) No.	<i>Fir</i>	<i>Read</i>
64	-	2	“section 47”	“section 117”
64	-	14	“Armed Force”	“Armed Forces”
66	-	8	“an vest”	“and vest”
66	-	47	“each Houses”	“each House”
91	3	-	“The Armed Forces”	“The Armed Forces Tribunal”



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2— अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, 6 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 (शक) [खंड LIII
NO. 3] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017/KARTIKA 15, 1939 (SAKA) [VOL. LIII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 (शक)

दि शिड्यूलड कास्ट्स एंड दि शिड्यूलड ट्राईब्स (प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट ऐक्ट 2015; (2) दि आर्बिट्रेशन एंड कनसिलिएशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (3) दि नेशनल वाटरवेज ऐक्ट, 2016; (4) दि इन्फोर्समेंट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एंड रिकवरी आफ डैब्ट्स लाज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (5) दि राइट आफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 2016; (6) दि स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (सेसेशन आफ लाइबिलिटीज) ऐक्ट, 2017; (7) दि मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (8) दि इम्प्लाईज कम्पेनसेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (9) दि इंडीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स ऐक्ट, 2017; (10) दि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) ऐक्ट, 2017; (11) दि कॉन्स्टीट्यूशन (शिड्यूलड कास्ट्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (12) दि टैक्सेशन लाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (13) दि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; और (14) दि कलेक्शन आफ स्टेटिस्टिक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, November 6, 2017/Kartika 15, 1939 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015; (2) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015; (3) The National Waterways Act, 2016; (4) The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016; (5) The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016; (6) The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017; (7) The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017; (8) The Employees Compensation (Amendment) Act, 2017; (9) The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017; (10) The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017; (11) The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2017; (12) the Taxation Laws (Amendment) Act, 2017; (13) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017; and (14) The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 1)	427
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015	
माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 3)	441
The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015	
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17)	457
The National Waterways Act, 2016	
प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 44)	473
The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016	
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49)	499
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016	
विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 2)	537
The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017	
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 6)	541
The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017	
कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11)	543
The Employees Compensation (Amendment) Act, 2017	
एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13)	545
The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017	
माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 15)	563
The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 17)	571
The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2017	
कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 18)	573
The Taxation Laws (Amendment) Act, 2017	
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 19)	593
The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017	
सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 21)	595
The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017	

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 17)

[28 अप्रैल, 2017]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का ओडिशा राज्य में अनुसूचित
जातियों की सूची को उपांतरित करने और संविधान (पांडिचेरी)
(अनुसूचित जातियां) आदेश, 1964
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 संक्षिप्त नाम।
है।

सं आ 19

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 79 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“79. सुबाखिया, सुआलगिरि, स्वालगिरी।”।

संविधान
(अनुसूचित
जातियां) आदेश,
1950 का
संशोधन।

सं आ 68

3. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 1964 में, “पांडिचेरी” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, “पुडुचेरी” शब्द रखा जाएगा।

संविधान
(पांडिचेरी)
अनुसूचित जातियां
आदेश, 1964 का
संशोधन।